

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938

No. 470]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

सं. 30/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 675(अ).—जबकि प्राधिकृत प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित दिनांक 10 अप्रैल, 2015 की अपनी अधिसूचना सं.15/23/2014-डीजीएडी, के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य (यहां जिसे विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए “1, 1, 1, 2-टेट्राफ्लोरोइथेन या आर-134क” (यहां जिसे विषयगत वस्तु के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2903 39 19 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 15 जुलाई, 2011 को सा.का.नि. सं. 539 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 15 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 61/2011-सीमा शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में प्राधिकृत प्राधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण,

भाग-I, खंड-1 में दिनांक 30 मई, 2016 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/23/2014-डीजीएडी के अंतर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं का लगातार पाटन हो रही है ;
- (ii) आयात से घरेलू उद्योग की कीमतें बहुत कम हो रही हैं और घरेलू कीमतों पर भी इसका दबाव पड़ रहा है ;
- (iii) घरेलू उद्योग का वित्तीय कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है और विषयगत देश से लगातार होने वाले पाटित आयात से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है ;
- (iv) यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को खत्म कर दिया जायेगा तो विषयगत देश से विषयगत का पाटन होते रहने की संभावना है ,

और यह सिफारिश की है विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2903 39 19	1, 1, 1, 2- टेट्राफ्लोरोइथेन आर-134क या	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	1.22	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
2.	2903 39 19	1, 1, 1, 2- टेट्राफ्लोरोइथेन आर-134क या	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य कोई देश	कोई	कोई	1.22	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
3.	2903 39 19	1, 1, 1, 2- टेट्राफ्लोरोइथेन आर-134क या	चीन जनवादी गणराज्य के अलावा अन्य कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	1.22	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर

नोट: सीजीएमपी सर्टिफाइड आर-134क को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

2. लगाया गया प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू “विनिमय दर” वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/24/2010-टीआरयू (भाग-II)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2016

No. 30/2016-Customs (ADD)

G.S.R. 675(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No.15/23/2014-DGAD, dated the 10th April, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2903 39 19 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.61/2011-Customs, dated the 15th July, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.539(E), dated the 15th July, 2011;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No.15/23/2014-DGAD, dated the 30th May, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has come to the conclusion that-

- (i) there is continued dumping of the subject goods from the subject country;
- (ii) imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry and are depressing the domestic prices;
- (iii) the financial performance of the domestic industry has deteriorated and the dumped imports from the subject country continue to cause injury to the domestic industry;
- (iv) dumping of the subject goods from the subject country is likely to continue if the current anti-dumping duty ceases,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the

corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description of goods*	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2903 39 19	1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a	People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	1.22	kilogram	US Dollar
2.	2903 39 19	1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a	People's Republic of China	Any other than People's Republic of China	Any	Any	1.22	kilogram	US Dollar
3.	2903 39 19	1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a	Any other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	1.22	kilogram	US Dollar

*Note: The CGMP certified R-134a is excluded from the purview of the product under consideration.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/24/2010-TRU (Pt.-II)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

सं. 31/2016-सीमा शुल्क(एडीडी)

सा.का.नि. 676(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 61/2011-सीमा शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा0का0नि0 539(अ), तारीख 15 जुलाई, 2011 को प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 1 से 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 354/24/2010-टीआरयू (भाग- II)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना सं० 61/2011-सीमा शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 2011, सा.का.नि. 539 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2016

No. 31/2016-Customs (ADD)

G.S.R. 676(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.61/2011-Customs, dated the 15th July, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R.539(E), dated the 15th July, 2011, namely:-

In the said notification, in the Table, serial numbers 1 to 6 and the entries relating thereto shall be omitted;

[F. No. 354/24/2010-TRU (Pt.-II)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.

Note. - The principal notification No.61/2011-Customs, dated the 15th July, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 539(E), dated the 15th July, 2011.